8/4/23 - पत्रावली पेश हुई। आज पक्षकारान उप। पुनः बहस सुनी गयी। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर उद्घोषित किया गया। पत्रावली नम्बर से दर्ज की जाकर ~~[illegible]~~ दाखिल दफ्तर हो।

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं
26/2018

तारीख दायरा
14.05.2018

तारीख फैसला
8/02/2023

बउनवान

छोटलाल पुत्र श्री धूलीलाल जाति मीण निवासी फतेहपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट.

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 253 पुराना 240 की ख0न0 355 की रकबा 0.32है0 नहरी प्रथम जमाबंदी संवत 2073–2076 स्थित है। ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 229 पुराना 215 की ख0न0 72 की रकबा 0.25है0 ख0न0 353 की 0.50 है0, 360 की 0.74 है0 भूमि कुल किता 3 रकबा 1.49है0 आराजी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हजारी पुत्र धूलीलाल खातेदार अंकित है।

वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम हजारीलाल दर्ज है और पहचान पत्र, राशनकार्ड, भमाशाह कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में छोटूलाल दर्ज है। वादी छोटूलाल को गाव में दो नाम से जानते हैं छोटूलाल व हजारीलाल जबकि वादी का नाम छोटूलाल है। वादी को सहकारी बैंक व अन्य कहीं संस्थाओं में कृषि ऋण लेने में काफी असुविधा होती है। इसलिए वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।

प्रतिवादी उक्त भूमि का लैण्ड होल्डर है इसलिए वाद से पूर्व विधिवत रूप से पक्षकार बनाना आवश्यक है और विधिवत रूप से 2 माह का नोटिस भी दिया जाना आवश्यक है, लेकिन समयाभाव के कारण नोटिस दिया जाना संभव नहीं है तथा वाद प्रस्तुत करने हेतु 80 सीपीसी के तहत पृथक से अनुमति प्रार्थना पत्र संलग्न है। हलका पटवारी से दिनांक 08/05/2018 को रकबे की जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी मिली इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 253 पुराना 240 की ख0न0 355 की रकबा 0.35है0 नहरी प्रथम जमाबंदी संवत 2073–2076 स्थित है। ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 229 पुराना 215 की ख0न0 72 की रकबा 0.25है0 ख0न0 353 की 0.50इहै0 360 की 0.74 है0 भूमि कुल किता 3 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

49है0 के राजस्व रिकॉर्ड में हजारीलाल के स्थान पर छोटूलाल दर्ज अंकित किया जावे तथा तिवादी को उक्त डिकी की पालना करवायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। तहसीलदार पीपल्दा तिवादी से जवाब प्राप्त हुआ। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि के ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा में खाता सं0 या 253 पुराना 240 की ख0न0 355 की रकबा 0.35है0 नहरी प्रथम जमाबंदी संवत 073–2076 स्थित है। ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 2296 पुराना 215 की ख0न0 72 की रकबा 0.25है0 ख0न0 353 की 0.50है0 360 की 0.74है0 भूमि कुल किता 3 रकबा 1.49है0 में हजारीलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा के नाम कमशः खातेदारी व गैरखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने पर वादी का नाम हजारीलाल के स्थान पर छोटूलाल किया जाना उचित है। इससे राजहित प्रभावित नहीं होता है।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा दौराने बहस वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न रिकॉर्ड अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजारीलाल के स्थान पर छोटूलाल करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जवाब सरकर का अवलोकन किया गया। वाद में जवाव प्रतिवादी में वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजारीलाल के स्थान छोटूलाल किया जाना अंकित किया है। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत रिकॉर्ड, जवाव सरकार, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का नाम छोटूलाल दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हलका रजोपा की रिपोर्ट भी संलग्न है जिसमें पटवारी हलका द्वारा अंकित किया है कि विवादित आराजी में वादी का नाम हजारीलाल अंकित है, किन्तु ग्रामवासी उक्त खातेदार को छोटूलाल मीणा के नाम से पुकारते है।

उक्त विवेचन के आधार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 253 पुराना 240 की ख0न0 355 की रकबा 0.35है0 नहरी प्रथम जमाबंदी संवत 2073–2076 स्थित है। ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 229 पुराना 215 की ख0न0 72 की रकवा 0.25है0 ख0न0 353 की 0.50है0 360 की 0.74 है0 भूमि कुल किता 3 रकबा 1.49है0 में हजारीलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा के स्थान पर छोटूलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी फतेहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। विवादित आराजी पर यदि रहनभार अंकित है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तनुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

बजदालत न्यायालय उपखंड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

छोटलाल पुत्र श्री धूलीलाल जाति मीण निवासी फतेहपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 253 पुराना 240 की ख0न0 355 की रकबा 0.35है0 नहरी प्रथम जमाबंदी संवत 2073–2076 स्थित है। ग्राम फतेहपुर पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अ0निरीक्षक इटावा तह0 पीपल्दा में खाता सं0 नया 229 पुराना 215 की ख0न0 72 की रकबा 0.25है0 ख0न0 353 की 0.50है0 360 की 0.74 है0 भूमि कुल किता 3 रकबा 1.49है0 में हजारीलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा के स्थान पर छोटूलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी फतेहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। विवादित आराजी पर यदि रहनभार अंकित है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बावत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
गुत0			गुत0		
मिलान			मिलान		

उपखंड अधिकारी
इटावा जिला कोटा